<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

05/07/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स प्राइम पल्सेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.06.2024 को कोलकाता और जयपुर में 11 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में 41 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफसी, कोलकाता द्वारा मेसर्स प्राइम पल्सेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। इस मामले में विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कुल 447.44 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान पहुंचाने के लिए 10 आरोप पत्र और एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स प्राइम पल्सेज लिमिटेड के निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा कंपनी के कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों के नाम पर विभिन्न फर्जी संस्थाओं को शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य ऐसी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से फन्डस की लेयरिंग करना था। जाँच के दौरान यह भी पता चला कि संबंधित बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत दो मंजिला वाणिज्यिक बंधक संपत्ति बेची गई थी। इस संपत्ति को आरोपी व्यक्तियों ने संबंधित इकाई/कंपनी के माध्यम से अपराध की आय के राउंड ट्रिपिंग द्वारा खरीदा था। इस संपत्ति का मूल्य 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। प्रमोटर/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए संदिग्ध तीसरे पक्ष से लेनदेन किए गए थे। आवास प्रविष्टियां प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतानों के विरुद्ध फर्जी खरीद दर्ज की गई थी। तलाशी अभियान में कई संपत्ति दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेजों का पता चला। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।